

पैक्ट सीट

परियोजना का नाम — कूल विरखन से सूड होते हुए प्यूड़ा इन्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु समेकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

1. प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वन भूमि	—	0.522 है०
वन पंचायत भूमि	—	0.171 है०
सिविल सोयम भूमि	—	0.765 है०
नाप भूमि	—	2.142 है०
योग	—	3.60 है०

3. प्रस्तावक विभाग का नाम — निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० नैनीताल

4. वन प्रभाग का नाम — नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल ।

5. प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है — हाँ/नहीं

6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है — हाँ/नहीं

7. क्या भारत सरकार के प्रारूप में भाग

1,2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना

भरी गई है — हाँ/नहीं

8. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर

दिनांक व स्थान भरा गया है — हाँ/नहीं

9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व

दर्शाया गया है — हाँ/नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची व

प्रमाण-पत्र संलग्न है — हाँ/नहीं

11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय

निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है — हाँ/नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है—
हाँ/नहीं
13. समरेखण में आने वाले वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न हैं—
हाँ/नहीं
14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है—
हाँ/नहीं
15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न हैं—
हाँ/नहीं
16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है—
हाँ/नहीं
17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न हैं
हाँ/नहीं
18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं
हाँ/नहीं
19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है—
(यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न हैं)
हाँ/नहीं
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है
हाँ/नहीं
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व से निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है—
(यदि पूर्व से निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
हाँ/नहीं
22. क्या मानचित्र से प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है—
हाँ/नहीं
23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है—
हाँ/नहीं
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है
हाँ/नहीं

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाओं/ वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं— हाँ/ ~~नहीं~~
27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का करण (एक विस्तृत नोअ संलग्न किया जाय)
28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत हैं— हाँ/ ~~नहीं~~
(500 है० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता हैं हाँ/ ~~नहीं~~
30. मलुवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है हाँ/ ~~नहीं~~
- अथवा
- मलुवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न हैं हाँ/ ~~नहीं~~
31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है हाँ/ ~~नहीं~~
32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है हाँ/ ~~नहीं~~
यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो सत्यापित हैं हाँ/ ~~नहीं~~
33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न हैं— हाँ/ ~~नहीं~~
34. वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न हैं हाँ/ ~~नहीं~~
35. क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं हाँ/ ~~नहीं~~

प्रमाणित किया जात है कि प्रस्ताव उक्त पैक्ट सीट एवं बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता III
नि० ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल


अधिशंकी अभियन्ता
नि० ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण-

- | | |
|---|--|
| 1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण | जनपद नैनीताल में कूल विरखन से सूड़ होते हुए प्यूड़ा इण्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि०मी०। |
| ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप | मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है। |
| ग) परियोजना की लागत | 176.20 लाख |
| घ) वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य | मोटर मार्ग का नव निर्माण। |
| ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये) | लागू नहीं |
| च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है | लगभग 450 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। |
| 2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण | आरक्षित वन भूमि 0.522 है० वनपंचायत 0.171 है० सिविल सोयम 0.765 कुल 1.458 है० |
| 3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण | |
| यदि कोई है | कोई नहीं |
| क) परिवारों की संख्या | |
| ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या | कोई नहीं |
| ग) पुर्ववास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) | कोई नहीं |

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986

के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है?

(हां/नहीं)

नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके

अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक

वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य

सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार

संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र

आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता

(वचनबद्धता संलग्न की जाय)

वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न है ।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों

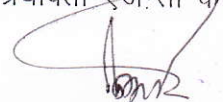
में / दस्तावेजों का ब्यौरा

सूची प्रस्ताव में संलग्न है ।

दिनांक : 12/03/2012

स्थान : नैनीताल

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर



ए0बी0 काण्डपाल

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

नैनीताल